


185
2000-199

क्र. सी-3-3-2000-3-एक
भोजे जाने के लिए प्रस्ताव
पत्र क्र. भोपाल एस.सी.-2
क्र. सी-3-3-2000-3-एक



पंजी. क्रमांक भोपाल विभाग
एम.सी. 100/भोपाल/2000

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च 2000—फरवरी 20, शका 1921

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2000

क्र. एफ. सी. 3-3-2000-3-एक.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत राजपत्र में प्रकाशित की गयी है। मध्यप्रदेश के राज्यपाल, परतद्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम 1969 में निम्नलिखित और संशोधन किये हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 16 के उप नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अन्तर्भूत किया जाये, अर्थात्:—

- “(5) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्ण विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
- “(6) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का आयु 25 वर्षों से अधिक हो या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की आज्ञा से तथा आदेशानुसार,
एफ. सी. वर्मा, उपसचिव

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2000

क्र. सी-3-3-2000-3-एक.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के अन्तर्गत (2) के अन्तर्गत, इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी-3-3-2000-3-एक, दिनांक 10 मार्च 2000 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से परतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मार्च 2000

Bhopal, the 10th March 2000

No. F. C. 3-3-2000-3-EK.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, after sub-rule (4) of rule 6 the following sub-rules shall be inserted, namely:—

- (5) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has married before the minimum age fixed for marriage.
- (6) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has more than two living children one of whom is born on or after the 26th day of January, 2001."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

M. K. VERMA, D. S. Secy